

निविदा दस्तावेज़

खुला प्रस्ताव

विषय: अनुबंध की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए कैंटीन अनुबंध प्रदान करना।

महोदय/महोदया,

पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय काशीपुर में कैंटीन चलाने के लिए निविदा दस्तावेज़ संलग्न पाएं। निविदा विधिवत भरी हुई, हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "कैंटीन अनुबंध के लिए निविदा" लिखा हो, प्राचार्य, पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर, औद्योगिक एस्टेट, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713 को संबोधित हो, स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/या हाथ से प्रधानाचार्य कार्यालय के पास रखे निविदा बॉक्स में 05.09.2026 को सुबह 9 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदाएं 05.09.2026 को सुबह 10:00 बजे के.वी. काशीपुर पुस्तकालय में खोली जाएंगी। कैंटीन अनुबंध शुरू होने की तिथि 1 अक्टूबर, 2026 है।

स्थान, जगह आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए, किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे के बीच विद्यालय आने के लिए स्वतंत्र है।

(कृपया इस दस्तावेज़ अनुलग्नक I, II और III में शामिल सभी पृष्ठों को विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर प्रस्तुत करें)

बयाना राशि: रु. 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) का भुगतान

डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय काशीपुर के पक्ष में, काशीपुर में देय होगा।

कृपया निविदा दस्तावेज़ों के साथ मूल डी.डी. संलग्न करें।

प्राचार्य / Principal
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर
PM Shri Kendriya Vidyalaya, Kasimpur
(उद्यम सिंह नगर) उत्तराखण्ड-244713
U.S. Nagar, Uttarakhand-244713

अनुलग्नक- I

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम
2. पता
3. संपर्क नंबर:
4. पंजीकरण/ लाइसेंस संख्या
(स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति संलग्न की जानी चाहिए अथवा लेटर पैड या बिल बुक की प्रति संलग्न की जा सकती है)
5. पैन नंबर (प्रति संलग्न करें)
6. जीएसटी नंबर: (प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. स्थापना वर्ष
8. आज तक निष्पादित अनुबंध (अनुभव)
(इसकी प्रकृति): सरकारी, अर्ध सरकारी / निजी
कृपया निष्पादित अनुबंधों का विवरण अलग शीट पर दस्तावेजी साक्ष्य सहित दें।
प्रमाण सहित)
 - i)
 - ii)
 - iii)
 - iv)
9. वर्तमान कार्यभार: सरकारी/अर्ध-निजी/निजी
में
)
में
)
10. बयाना राशि : डीडी नं.-----दिनांक-----रु.10000/=
- 11 .. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी वस्तुएं एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर स्टाम्प के साथ

प्राचार्य/Principal
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर
PM Shri Kendriya Vidyalaya, Kasimpur
(34th Flr. 1st St. 1st Cross-244/13
(U.S. Nagar) Uttarakhand-244110

अनुलग्नक-II

संबिदा की शर्तें व नियम - पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर में
कैंटीन चलाने के लिए

(कृपया इस दस्तावेज़ को निविदा पत्रों के साथ संलग्न करें और जमा करें)

1. यह समझौता, समझौते की तिथि से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा तत्पश्चात् इसे आपसी सहमति तथा विद्यालय प्राधिकारी के विवेकानुसार आवश्यकतानुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. ठेकेदार के पास स्कूल कैंटीन चलाने के लिए वैध खाद्य/खानपान या कोई भी आवश्यक लाइसेंस या अनुमति होनी चाहिए। निविदा जमा करने की तिथि से कम से कम 6 महीने तक वैध FSSAI प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
3. ठेकेदार केवल ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जो समिति के सदस्यों, पीएम श्री केवी काशीपुर द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित हों और जैसा कि सीबीएसई द्वारा स्कूल कैंटीन के लिए पत्र संख्या सीबीएसई/जेडी (एचए)/सर्क/2016 दिनांकित 06 जनवरी 2016 के अनुसार निर्देशित किया गया हो।
4. ठेकेदार अनुलग्नक-III में उल्लिखित सभी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
5. कैंटीन के लिए भवन स्कूल द्वारा किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। कमरे की उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और वह इस मद में किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।
6. किसी भी खाद्य विषाक्तता/संदूषण के मामले में ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और वह खाद्य विषाक्तता/संदूषण के कारण होने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा, साथ ही उचित समझे जाने पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा।
7. कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।
8. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति ठेकेदार के अपने कर्मचारी होंगे और वे प्रिंसिपल, पीएम श्री केवी काशीपुर से किसी भी विशेषाधिकार का दावा नहीं करेंगे। सामान्य अनुशासन और विनम्र व्यवहार के संबंध में ठेकेदार अपने कर्मचारियों के प्रशासन के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।

9. ठेकेदार को अपने सभी श्रमिकों की भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सकीय जांच करानी होगी, ताकि वे सामान्य स्वास्थ्य के अलावा संक्रामक रोगों से मुक्त हों।
10. ठेकेदार रसोई और कैंटीन हॉल में क्रॉकरी, खाना पकाने के बर्तन, फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग, हाथ के दस्ताने, मुंह का मास्क, सिर का कवर आदि की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा। संगठन इसके लिए कोई सफाई सामग्री/डस्टर आदि उपलब्ध नहीं कराएगा।
11. ठेकेदार और उसके द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा रसोईघर, कैंटीन हॉल और संबंधित सेवाओं के संचालन में स्वच्छता और सफाई के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा, जिनमें प्रयुक्त बर्तनों को एकत्रित करने और कचरे तथा कूड़ा-कचरा के आवधिक निपटान के लिए जिम्मेदार श्रमिक भी शामिल हैं।
12. कैंटीन सभी कार्य दिवसों में स्कूल समय के दौरान खानपान के लिए खुली रहेगी तथा स्कूल समाप्त होने के बाद, अधिकतम एक घंटे बाद, बंद कर दी जाएगी।
13. ठेकेदार कैंटीन प्रभारी/प्रधानाचार्य द्वारा जारी किए जाने वाले गेट-पास के बिना के वी परिसर से कोई भी सामान या सामान बाहर नहीं ले जाएगा। ठेकेदार द्वारा बिना सूचना दिए स्वीकृत सामान की आपूर्ति करने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार द्वारा अपने जोखिम पर इसकी व्यवस्था की जाएगी।
14. ठेकेदार को, अधिनियम के अनुसार, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय काशीपुर को उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने के संबंध में ठेकेदार द्वारा नियोजित या नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ और अन्य कार्मिकों या व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक बीमा स्वयं के खर्च पर कराना होगा और (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, कर्मचारी स्टाफ बीमा अधिनियम, कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, अन्य नियमों, विनियमों और/या विधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा जो उन पर अभी लागू हो सकते हैं या जो पेश किए जा सकते हैं।
15. श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार कैंटीन परिसर में किसी भी बाल श्रमिक को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए। तथा सभी कर्मचारियों में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।
16. तैनात किये गये व्यक्तियों के पुलिस सत्यापन दस्तावेज ठेकेदार द्वारा तैनाती के 15 दिन के अन्दर पीएम श्री के वी काशीपुर के कार्यालय में जमा किये जाने चाहिए अन्यथा उस व्यक्ति को विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं

दी जायेगी तथा ठेकेदार उसके स्थान पर तत्काल उस व्यक्ति को नियुक्त कर देगा जिसका सत्यापन पूर्ण हो गया है।

17. पीएम श्री के वी काशीपुर को ठेकेदार के कर्मचारियों की तलाशी लेने का अधिकार होगा, चाहे वे किसी भी समय कार्यालय परिसर से बाहर जा रहे हों और इस संबंध में ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा कोई शिकायत व्यक्त/महसूस नहीं की जाएगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को पीएम श्री के वी काशीपुर द्वारा अनुमोदित प्रारूप में पहचान पत्र जारी करेगा।

18. पीएम श्री के वी काशीपुर के प्रतिनिधियों को गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से निरीक्षण और परीक्षण के उद्देश्य से कैंटीन से खाद्य पदार्थों/कच्चे माल के नमूने लेने का अधिकार सुरक्षित है। हालांकि ऐसे नमूने अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा सरकारी मानदंडों में निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार लिए जाएंगे।

19. पीएम श्री के वी काशीपुर द्वारा एक कैंटीन प्रबंधन समिति नामित की जाएगी। यदि ठेकेदार की विफलता के कारण समिति द्वारा बार-बार विफलताएं या खामियां पाई जाती हैं, तो कैंटीन समिति के प्रभारी अध्यक्ष की मंजूरी से एक बार में 5000/- रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं, जिसे ठेकेदार को देय बिलों से वसूला जा सकेगा।

20. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन परिसर में कोई खतरनाक या ज्वलनशील या मादक पदार्थ संग्रहित न किया जाए।

बयाना राशि (वापसी योग्य): रु. 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) का

भुगतान केन्द्रीय विद्यालय काशीपुर के पक्ष में, काशीपुर में देय

डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना है।

कृपया मूल डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें

21. सुरक्षा जमा : सफल ठेकेदार को पीएम श्री के वी काशीपुर के पास बोली सुरक्षा के रूप में एफ.डी.आर. के रूप में 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करनी होगी। अनुबंध पूरा होने पर नियमानुसार सुरक्षा जमा ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

22. (क) ठेकेदार कैंटीन चलाने के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान को कैंटीन चलाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उप-किराए पर नहीं देगा, न ही उसे सौंपेगा और न ही लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी को रहने देगा और न ही उसका या उसके किसी भाग का उपयोग कैंटीन में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के भंडारण या रखने के लिए करेगा और न ही प्रबंधन की लिखित

स्वीकृति के बिना उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्धन या परिवर्तन करेगा या करने की अनुमति देगा।

ख) ठेकेदार स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा पीएम श्री केवी काशीपुर, संपत्ति को हुए सभी नुकसानों या हानियों के लिए जिम्मेदार होगा और उचित उपयोग या टूट-फूट या दैवीय कृत्य के कारण हुए नुकसानों को छोड़कर ऐसे किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग) पीएम श्री के वी काशीपुर किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा कैंटीन परिसर में रसोई और अन्य कमरों सहित रखे गए किसी भी सामान, स्टोर या लेख को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

23. (ठेकेदार लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद और/या पीएम श्री केवी काशीपुर की इच्छा होने पर पहले भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर देगा और उसे सभी फर्नीचर, फिटिंग्स और अन्य वस्तुओं के साथ प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा, जैसा कि समय-समय पर प्रदान किया गया हो और प्रिंसिपल, पीएम श्री के वी काशीपुर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। ठेकेदार पीएम श्री के वी काशीपुर की संपत्ति को बिना किसी नुकसान के, हटाने के लिए स्वतंत्र होगा जैसे फर्नीचर, फिटिंग्स, क्रॉकरी, कटलरी, बर्तन और अन्य वस्तुएं जो ठेकेदार द्वारा लाई गई हों।
24. के वी काशीपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।
25. अनुबंध अवधि के दौरान पीएम श्री के वी काशीपुर परिसर में केवल कैंटीन चलाने की अनुमति है और इस दस्तावेज में निहित कुछ भी पीएम श्री के वी काशीपुर परिसर या उसके किसी भी हिस्से के कानूनी अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा और ठेकेदार को कोई कानूनी अधिकार या हित नहीं दिया जाएगा।
26. विक्रेता के पास विभिन्न कार्यालयों में खानपान या कैंटीन चलाने का कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए।
27. कैंटीन ठेकेदार खाद्य पदार्थ बनाने, परोसने के लिए सभी क्रॉकरी /बर्तन, गैस कनेक्शन, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, डस्टबिन या अन्य गैजेट/उपकरण की व्यवस्था करेगा।
28. यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर सभी मानक बैठने की व्यवस्था करनी होगी।
29. विद्यालय को पानी और बिजली की फिटिंग, बेसिन और कैंटीन के लिए कमर जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी। अन्य सभी फिटिंग्स और उपकरण की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

30. ठेकेदार को विद्यालय प्राधिकारी द्वारा तय किए गए बिजली शुल्क सहित कमरे का किराया देना होगा।
31. ठेकेदार को धूम्रपान निकास और कचरा निपटान के लिए उचित और वैज्ञानिक तरीके की व्यवस्था करनी होगी। विद्यालय परिसर में निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कचरा नहीं डाला जाएगा। कैंटीन के आस-पास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखना ठेकेदार की एकमात्र और मुख्य जिम्मेदारी होगी। आउटलेट पर जलभराव को तुरंत साफ करना होगा।
32. किसी भी मुआवजे के लिए पीएम श्री के वी काशीपुर का दायित्व नहीं होगा।
33. सभी तेल, मक्खन, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ आई.एस.आ.ई./ एगमार्क अनुमोदित होने चाहिए।
34. सभी पैक किए गए खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट/केक आदि को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा।
35. कोई भी पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, कुरकुरे आदि कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
36. ठेकेदार को अपनी बोली के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी फर्म का पैन और जीएसटी नंबर भी देना होगा। पैन नंबर जमा किए बिना कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। प्रचलित कर प्रावधानों के अनुसार सभी कर उसके भुगतान से वसूल किए जाएंगे।
37. विद्यालय (मांगकर्ता) उस बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करेगा जिसकी बोली को पर्याप्त रूप से उत्तरदायी माना गया है और जिसने खाद्य पदार्थों की सबसे कम कीमत और सबसे अधिक किराया देने की पेशकश की है, लेकिन खाद्य पदार्थों की सबसे कम कीमत और सबसे अधिक किराया देने से अनुबंध देने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। किसी भी फर्म/एजेंसी को अनुबंध प्रदान करना समिति के सदस्यों/प्रधानाचार्य का एकमात्र विवेक होगा।
38. पक्ष-I (के.वी.काशीपुर) द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त किया जा सकता है । पक्ष-II (ठेकेदार) यदि चाहे तो एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।
39. के वी काशीपुर में उद्धृत दरों पर सामान वितरित किया जाएगा.
40. बोली खुलने के बाद कोई भी फर्म अपनी बोली रद्द/वापस नहीं ले सकेगी, ऐसी स्थिति में उसकी बयाना राशि/ सुरक्षा जमा जब्त कर ली जायेगी।

41. यदि सफल बोलीदाता कैंटीन सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। उसकी बयाना राशि / सुरक्षा जमा कर ली जाएगी और साथ ही फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज---

1. पैन कार्ड और जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति
2. एफ.एस.एस.एआ.ई. प्रमाण पत्र की प्रति
3. फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र
4. अनुभव प्रमाण पत्र आदि.

विद्यालय समिति को ऊपर बताई गई किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार है।

ऊपर उल्लिखित नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

मुहर के साथ

गवाह

- 1.
- 2.

प्रमुख / Principal
विद्यालय, काशी
Kandrupa Kumbhaya, Kumbhaya
सहस्र (Kumbhaya) Uttarakhand
(6)

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरे

ठेकेदार कोटेशन संख्या: _____

दिनांक: _____

कैंटीन में बेचे जाने वाले पेय पदार्थों / स्नैक्स की सूची

क्र.सं.	व्यौरा	निविदा दर	न्यूनतम दर
1	चाय मानक, 150 मिलीलीटर		रु. 10/-
2	कॉफी मानक, 150 मिलीलीटर		रु. 15/-
3	पैटीज़ कटलेट/ समोसा चटनी /साँस के साथ आलू, मटर, 75 ग्राम		रु. 10/-
4	बिना कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक/जूस/बिस्किट/नमकीन आदि (सभी FSSAI मार्क वाले)		एम.आर.पी./- से अधिक नहीं
5	नाश्ता - 6 पूरी, सब्जी , अचार और चाय		रु. 35/-
6	साक्षात्कार / कार्यशाला के लिए (नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय और जलपान के लिए निर्दिष्ट/आदेशित वस्तुएं, शाम की चाय और रिफ्रेशमेंट के लिए बताई गई/ऑर्डर की गई चीजें) KVS के लेटर नंबर 110355/01/24-25/KVSHQ/SPORTS/ENH of DA/3102-3114 (तारीख 27.05.24) के अनुसार		रु. 300/- के.वी.एस. मानदंडों के अनुसार
7	के.वी.एस. खेलकूद प्रतियोगिता के लिए दिन का पूर्ण भोजन अर्थात नाश्ता (200 मिली दूध, 04 पीस ब्रेड विड बटर और 04 पीस ब्रेड विड जैम या 06 से 08 पीस इडली , सांभर , चटनी या 04 पीस आलूपरांठा । 02 पीस केले या 01 पीस सेब और 02 उबले अंडे), दोपहर का भोजन (चपाती , चावल, मीठा, कोई भी दाल या राजमा या चना , सब्जी, पनीर या शाकाहारी, सलाद पापड़ , अचार और गैर -शाकाहारियों के लिए चिकन/मछली)। शाम का नाश्ता (जूस-200 मिली स्नैक्स के साथ अर्थात 02 सैंडविच/02 समोसा /02 ब्रेड पकौड़ा /08 पनीर रात का खाना (चपाती , चावल, मिठाई, कोई भी दाल या राजमा या चना , मौसमी मिश्रित सब्जी, शाकाहारियों के लिए पनीर , सलाद पापड़ , अचार और मांसाहारी लोगों के लिए चिकन/मछली), रात (दूध-200 मिली, सोते समय- कोई भी मच्छर भगाने वाली दवा) नोट- मुख्य भोजन बुके शैली में परोसा जाएगा। सभी सामानों की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के लिए केवीएस (मुख्यालय) के तौर-तरीकों के अनुसार। केवीएस के पत्र संख्या 110355/01/24-25/KVSHQ/SPORTS/ENH of DA/3102-3114 दिनांक 27.05.24 के अनुसार		रु. 400/- खेलों के लिए केवीएस (मुख्यालय) की कार्यप्रणाली के अनुसार
8	कैंटीन किराया (बोलीदाता द्वारा भरा जाना चाहिए)		रु. 5000/-

प्रमुख/Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर

PM Shri Kendriya Vidyalaya, Kashiapur

(उद्यम सिंह नगर) उत्तराखण्ड

H.S. Narayan, Principal

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर